

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
फतेहपुर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,  
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल  
प्रिन्सपल बेंच  
फरीद कोट हाउस कापरनिकस मार्ग,  
नई दिल्ली-110001।  
[judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in)

पत्रांक 1257 /खनिज

(2024-25)

दिनांक 14 / 08 / 2024


विषय:- ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या 505 / 2024 the news item titled "उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीने, एनजीटी में शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या 505 / 2024 the news item titled "उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीने, एनजीटी में शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश के अनुपालन में गठित जाँच समिति की आख्या दिनांक 14.08.2024 संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- जाँच समिति की आख्या दिनांक 14.08.2024 संलग्नकों सहित।

भवदीया

  
जिलाधिकारी,  
फतेहपुर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या 505/2024 the news item titled "उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीने, एनजीटी में शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फतेहपुर के कार्यालय ज्ञाप संख्या 710/खनिज/एन0जी0टी0/ओ0ए0 नं0 505/2024, दिनांक 22.05.2024 के द्वारा गठित जांच समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 505/2024 में दिनांक-08.05.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :-

".....1. This Original Application is registered suo-motu on the basis of the news item titled " उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीने, एनजीटी में शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024. The news item relates to the alleged illegal mining which is taking place near the Aung police station area in Fatehpur district, Uttar Pradesh. The news item refers to a viral video showing that the trees, plants and hills are being destroyed on account of illegal mining. It also discloses that the illegal mining is affecting the environment and on account of such illegal mining the agricultural land is shrinking. It also discloses that a big area of the forest department is in Ashapur - Abhaypur village and by illegal mining the forest area is also being destroyed. The complaint is about mining upto the depth of 25-30 feet by one local leader of Abhaypur.

2. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms and implementation of the provisions of scheduled enactment.

3. Power of the Tribunal to take up the matter suo-motu has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.

4. 5. Hence, we implead following as respondents in this matter:

- (i). Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary, Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
- (ii). Central Pollution Control Board, through its Member Secretary, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi - 110 032.
- (iii). Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office (CZ), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow - 226 020.
- (iv). District Magistrate, Fatehpur, DM Office, Collectorate Campus, Fatehpur - 212 601

5. Let notice be issued to the above respondents for filing their response atleast one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.


6. List on 21.08.2024.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या 505/2024 the news item titled " उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीने, एनजीटी में शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फतेहपुर के कार्यालय ज्ञाप संख्या 710/खनिज/एन0जी0टी0/ओ0ए0 नं0 505/2024, दिनांक 22.05.2024 के द्वारा स्थलीय जांच हेतु समिति गठित की गयी (संलग्नक-01)। जांच समिति में निम्नलिखित अधिकारी नामित किये गये हैं:-

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, फतेहपुर या उनके द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी।
2. उप जिलाधिकारी, बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।
4. खान अधिकारी/खान निरीक्षक, फतेहपुर।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 14.08.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आया :-

1. श्री रीरम गुप्ता, खान अधिकारी, फतेहपुर द्वारा अवगत कराया गया कि श्री रोहित कुमार, फरीदपुर, उसरैना, तहसील-बिन्दकी को ग्राम-आशिफपुर मुस्ताकिल (आशापुर), तहसील-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर के गाटा संख्या 19ख से कुल क्षेत्रफल 0.1860 हेक्टेयर में 3200 घनमीटर साधारण मिट्टी के निकारी हेतु अनुज्ञा पत्र संख्या एन0ओ0सी0 (ओ0ई0/2023/11/29/290379), दिनांक 05.01.2024 को जारी किया गया है। अनुज्ञा पत्र की प्रति (संलग्न-02) के रूप में संलग्न है। तहसीलदार (बिन्दकी) जनपद-फतेहपुर द्वारा आवेदित भूमि/गाटा संख्या के सम्बन्ध में आख्या संलग्नक-03 के रूप में संलग्न है।



2. श्रीमती अंगना बेवा पत्नी श्री मिट्टु, निवासी ग्राम-आशिफपुर मुस्तकिल (आशापुर), परगना-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर (वर्तमान पता सुन्दरपुर, बंगला, पोस्ट-कुडनी, जनपद-कानपुर नगर) द्वारा गाटा संख्या 19ख, रकबा-0.1860 व गाटा संख्या 29क, रकबा-0.0820 में से अपने हिस्से की जमीन को समतलीकरण किये जाने हेतु श्री रोहित कुमार पुत्र महिपाल, निवासी ग्राम-फरीदपुर, उसरैना, जनपद-फतेहपुर को दिया गया है (संलग्नक-04)।
3. निरीक्षण के समय समिति द्वारा स्थल का जिओ को-आर्डिनेट्स निम्नवत् पाया गया :-

क्र०सं०	दिशा	मिट्टी खनन क्षेत्र का जिओ को-आर्डिनेट्स	
		Latitude	Longitude
1.	दक्षिण-पूरब	26.202589	80.554173
2	दक्षिण-पश्चिम	26.202434	80.553897
3.	उत्तर-पश्चिम	26.202760	80.553602
4.	उत्तर-पूरब	26.202923	80.553924

निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्नक-05 के रूप में संलग्न है।

4. आवेदक श्री रोहित कुमार द्वारा उक्त भूमि से लगभग 51.0 मीटर लम्बाई एवं लगभग 33.0 मीटर चौड़ाई में मिट्टी का खनन किया हुआ पाया गया। औसतन गहराई 4.0 मीटर पायी गयी। इस प्रकार आवेदक द्वारा कुल लगभग 6732 घनमीटर मिट्टी का खनन किया गया है, जबकि आवेदक को कुल 3200 घनमीटर खनन की अनुमति प्रदान की गयी थी। अनुज्ञाधारक द्वारा मिट्टी का खनन गाटा संख्या 19 के पूरब-दक्षिण दिशा में किया गया है। उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (यथासंशोधित) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अधिकतम 2.0 मीटर की गहराई तक साधारण मिट्टी की निकासी की जा सकती है।
5. निरीक्षण के समय किये गये खनन एरिया में वनस्पतियाँ नहीं पायी गयी। खनन क्षेत्र के आस-पास बिलायती बबूल, चिलबिल के एक-एक पौधे पाये गये।
6. निरीक्षण के समय स्थल पर पाया गया कि मिट्टी का खनन मिट्टी के टिले से किया गया है।
7. निरीक्षण के समय खान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 21.02.2024 को स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र की जांच श्री बिपेंद्र कुमार राजभर, खान निरीक्षक द्वारा किया गया था (संलग्नक-06)। जांच आख्या अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), फतेहपुर को प्रेषित की गयी। जांच आख्या में उल्लेख है कि स्वीकृत खनन क्षेत्र में 2.0 मीटर से अधिक गहराई में मिट्टी की निकासी की गयी है, जो खनन अनुज्ञा पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना की शर्तों का उल्लंघन है।
8. अनुज्ञाधारक श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल, निवासी फरीदपुर, उसरैना, जनपद-फतेहपुर का उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-35 का उल्लंघन है। उक्त उल्लंघन के परिणाम स्वरूप अनुज्ञाधारक के विरुद्ध नियमानुसार कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए उक्त नियमावली के नियम-60 (2) के तहत जुर्माना आरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी। खान निरीक्षक की आख्या के आधार पर अनुज्ञाधारक श्री रोहित कुमार के विरुद्ध जिलाधिकारी, फतेहपुर के पत्र संख्या 310/खनिज/अनुज्ञा क्षेत्र/सा०मि० रोहित कुमार/2024, दिनांक 02.03.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (संलग्नक-07)। कारण बताओ नोटिस में 30 दिन के अन्दर अनुज्ञाधारक द्वारा स्पष्टीकरण खनिज कार्यालय, फतेहपुर में प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।
9. अनुज्ञाधारक द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.04.2024 के द्वारा जिलाधिकारी, फतेहपुर से जारी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया (संलग्नक-08)।
10. अनुज्ञाधारक श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल द्वारा कारण बताओ नोटिस के सन्दर्भ में प्रेषित उत्तर/स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि पट्टाधारक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त के आधार पर जिलाधिकारी, फतेहपुर के आदेश संख्या 463/खनिज/सा०मि०/अ०प०/रोहित/2024, दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से अनुज्ञाधारक से प्राप्त उत्तर/स्पष्टीकरण दिनांक 02.04.2024 को खारिज करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :-
- (i)-श्री रोहित कुमार उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-35 का उल्लंघन के कारण उक्त नियमावली के नियम-60(2) के तहत रू० 50,000/- शास्ति आरोपित की जाती है।


- (ii)–श्री रोहित कुमार उपरोक्त को निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर आरोपित शास्ति रू0 50,000/– निर्धारित लेखाशीर्षक "0853" अलौह धातु एवं खनिकर्म उद्योग में जमा कराकर चलान की प्रति खनिज कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (iii)–निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त श्री रोहित कुमार उपरोक्त के विरुद्ध आरोपित शास्ति की वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँति किये जाने हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाये।
11. निरीक्षण की तिथि तक अनुज्ञाधारक द्वारा आरोपित अर्थदण्ड रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) लेखाशीर्षक "0853" अलौह धातु एवं खनिकर्म उद्योग में जमा नहीं किया गया था। निरीक्षण के समय खान अधिकारी, फतेहपुर द्वारा आश्वस्त किया गया कि अनुज्ञाधारक के विरुद्ध दिनांक 16.08.2024 तक प्रत्येक दशा में आरोपित की गयी अर्थदण्ड को प्राप्त करने हेतु राजस्व की भाँति (आर0सी0) वसूली किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी, खनिज, फतेहपुर द्वारा जारी कर दी जायेगी।
12. निरीक्षण के समय खनन क्षेत्र से नष्ट हुए पौधों का आंकलन नहीं किया जा सका। निरीक्षण के समय वन विभाग, फतेहपुर की तरफ से उपस्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिन्दकी रेंज, फतेहपुर द्वारा आश्वस्त किया गया कि मिट्टी खनन एरिया/आस-पास क्षेत्र में 200 पौधे (सागौन, शीशम, कंजी, बिलायती बबूल आदि प्रजातियाँ) पर्यावरण संतुलन हेतु 30 सितम्बर, 2024 तक रोपित कर लिये जायेंगे।
13. निरीक्षण के समय खान अधिकारी, फतेहपुर द्वारा अवगत कराया गया कि भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.03.2018 में प्रदेश में मिट्टी के उपयोग से रायल्टी समाप्त की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के दिनांक 19.07.2024 की छायाप्रति संलग्नक-09 के रूप में संलग्न है।
14. शासनादेश संख्या 448/81-7-2020-39(पर्या)/2014-टी0सी0-1, दिनांक 01.05.2020 (संलग्नक-10) द्वारा भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 3204/86-2014-278-2011, दिनांक 22.10.2014 (उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 37वां संशोधन-2014) में किये गये प्राविधानों के अधीन यह उल्लेख किया गया है कि :-  
"ईट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्तचालन से साधारण मृदा, सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया, खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आएगी, प्रतिबंध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड़ढो की गहराई 2.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।"  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त ई0आई0ए0 अधिसूचना दिनांक 28.03.2020 में उल्लिखित क्रियाकलापों में छूट के अन्तर्गत उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली (37वां संशोधन) 2014 के प्राविधानों के हस्तचालन विधि से 2.0 मीटर की गहराई तक साधारण मृदा/सामान्य मिट्टी की खुदाई के लिए पूर्व पर्यावणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
15. उक्त स्वीकृत खनन अनुज्ञा शॉर्टटर्म परमिट के अन्तर्गत आच्छादित है तथा ऐसे प्रकरणों में स्टेट लेवल इन्वारयन्मेन्ट इम्पैक्ट अससेसमेन्ट अथॉरिटी, उ0प्र0 से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होती है।
16. निरीक्षण के समय पाया गया कि खनन क्षेत्र एवं मिट्टी के टिले के आस-पास भूमि का प्रयोग खेती में किया जा रहा है।  
जांच समिति की उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(रवीन्द्र सिंह विष्ट) 14/08  
क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिन्दकी रेंज,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
फतेहपुर


(सौरभ गुप्ता) 14/8/24  
खान अधिकारी,  
फतेहपुर

(अरविन्द्र कुमार)  
नायब तहसीलदार,  
बिन्दकी, फतेहपुर

(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला) 14/8/24  
क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
प्रयागराज



ओ०ए० नं० 505/2024 the news item titled "उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीनें, एनजीटी में शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के अनुपालन में दिनांक 14.08.2024 को किये गये स्थलीय निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स।



ओ०ए० नं० 505/2024 the news item titled "उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीने, एनजीटी में शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के अनुपालन में दिनांक 14.08.2024 को किये गये स्थलीय निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स।

## कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 710 / खनिज/एनजीटी/ओए नं० 505/2024

दिनांक 22/05/2024

कार्यालय-ज्ञाप

ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 505/2024 News item titled "उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र धरती का सीना चीर चल रही हैं मशीनें, शिकायत appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 में मा० एनजीटी द्वारा दिनांक 08.05.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

1- This Original Application is registered suo-motu on the basis of the news item titled "उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती का सीना चीर चल रही हैं मशीनें, एनजीटी में शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024. The news item relates to the alleged illegal mining which is taking place near the Aung police station area in Fatehpur district, Uttar Pradesh. The news item refers to a viral video showing that the trees, plants and hills are being destroyed on account of illegal mining. It also discloses that the illegal mining is affecting the environment and on account of such illegal mining the agricultural land is shrinking. It also discloses that a big area of the forest department is in Ashapur Abhaypur village and by illegal mining the forest area is also being destroyed. The complaint is about mining upto the depth of 25-30 feet by one local leader of Abhaypur.

2. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms and implementation of the provisions of scheduled enactment.

3. Power of the Tribunal to take up the matter suo-motu has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "Municipal Corporation of Greater Mumbai us. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.

4. Hence, we implead following as respondents in this matter:

(i) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary, Building No. TC- 12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

(ii) Central Pollution Control Board, through its Member Secretary, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi - 110 032

(iii) Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office (CZ), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow - 226 020

(iv) District Magistrate, Fatehpur, DM Office, Collectorate Campus, Fatehpur - 212 601

5. Let notice be issued to the above respondents for filing their response atleast one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. List on 21.08.2024

उक्त आदेश के अनुपालन में प्रकरण की जाँच हेतु निम्नवत् टीम का गठन किया जाता है:-

1-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, फतेहपुर

या उनके द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी।

2-उपजिलाधिकारी, बिन्दकी जनपद फतेहपुर।

3-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

4-खान अधिकारी/खान निरीक्षक, फतेहपुर।

समिति के सभी सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जाँच कर आख्या विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- 1. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), फतेहपुर को अनुश्रवण हेतु।

2. समिति के सदस्यों को अनुपालन हेतु।



जिलाधिकारी,  
फतेहपुर।

जिलाधिकारी,  
फतेहपुर।



## कार्यालय जिलाधिकारी, Fatehpur

(खनन अनुभाग)

साधारण मिट्टी की निकासी हेतु अनुज्ञापत्र



MINI MITRA

संख्या: NOC/OE/2023/11/29/290379

दिनांक: 05-01-2024

आवेदक एवं अवधि			
आवेदक का नाम	ROHIT KUMAR	आवेदक का पता	FARIDPUR USRAINA FATEHPUR
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 05-01-2024 से 03-04-2024 तक	खनन का प्रयोजन	khet samtal krne ke liye

खनन के लिए अनुज्ञा प्राप्त उपखनिज का विवरण	
नाम	मात्रा
Ordinary Soil	3200.00 घन मी०
कुल	3200.00 घन मी०

साधारण मिट्टी के खनन हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति					
ब्लॉक	वहचौक	ग्राम/नगर	गाटा संख्या/खण्ड संख्या/प्लॉट संख्या	रकबा(हे०)	मूस्वामी/मूस्वामियों का नाम
Fatehpur	Binoki	असिफपुर मुन्सफिकिल - 216299	19ख	0.1860	मनोज कुमार, विनोद कुमार, श्रीमती भूरीदेवी पट्टी, मु. अंगना बेदा,

आवेदक द्वारा अनुसूचक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

सिलेजक-२

Digitally signed by C INDHUMATHY  
Date: 2024.01.05 12:37:40  
Fatehpur  
District Magistrate

1. अनुज्ञापत्र धारक राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2. अनुज्ञापत्र धारक ऐसी रीति से मिट्टी निकासी करेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-पहाड़ि सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे क्षति न पहुँचे।
3. अनुज्ञापत्र धारक संयुक्त रूप से सभी खनिजों का खोजा करेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. अनुज्ञापत्र धारक या अवधि जो भी पहले समाप्त हो निकासी की अवधि उत्तरी ही रहेगी।
5. यदि आवेदक द्वारा आवेदित मात्रा/स्वीकृत मात्रा से अधिक निकासी/परिवहन करता है तो यह अतिरिक्त निकासी/परिवहन की श्रेणी में आयेगा।
6. आवेदक को उप खनिज परिहार नियमावली 1983 एवं समय-समय पर जारी शासनादेश एवं मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा तथा उनका उल्लंघन पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।
7. आवेदित स्थल के आस-पास के अन्य क्षेत्रों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचायेगा तथा निकासी कार्य सन्निकट क्षेत्र/खेत की सीमा में निकासी की गयी मिट्टी की गहराई के आधे की दूरी छोड़ी जायेगी।
8. अनुज्ञापत्र धारक पश्चात्तित गाटाओं से गौके पर उपलब्ध वृक्षों का कटाव नहीं करेगा।
9. आवेदक को निर्धारित मात्रा अथवा निर्धारित अवधि दोनों में से जो पहले पूर्ण होगा वह मान्य होगा।
10. यह कि माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली अथवा शासन द्वारा मिट्टी खनन के सम्बन्ध में कोई आदेश निर्गत किया जाता है तो आवेदक द्वारा उमका पालन किया जायेगा।
11. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के प्रभावी नियमों अशिसूचना एवं शर्तों के अनुसार खनन मंविदा की जाएगी।
12. 1. साधारण मिट्टी की निकासी हस्तचालन विधि से अधिकतम 2.00 मीटर की गहराई तक ही की जायेगी।
13. 2. पश्चात्तित मिट्टी निकासी की गहराई के आधी दूरी के बराबर सन्निकट वर्ग क्षेत्रों की सीमा में छोड़ी जायेगी।
14. 3. मिट्टी निकासी कार्य के दौरान निकाले गये ज्वल ैवपस को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जायेगा, जिसे मिट्टी निकासी अनुज्ञापत्र अवधि समाप्त होने के उपरान्त उसी क्षेत्र में फेंका दिया जायेगा।
15. 4. आवेदक द्वारा मिट्टी निकासी का कार्य पर्यावरण सुरक्षा से सम्बन्धित मामलन सुरक्षा मानको/ सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा।
16. 5. अनुज्ञापत्र धारक: राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षति पूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
17. 6. अनुज्ञापत्र धारक ऐसी रीति से मिट्टी की निकासी करेगा, जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन भू-गृह आदि सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक पर कोई बाधा न पड़े या उसे क्षति न पहुँचे।
18. 7. खनन अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र अवधि या उल्लिखित खनिज की मात्रा की निकासी, जो भी पहले घटित हो, तक ही मान्य होगा। किसी भी दया में अनुज्ञापत्र अवधि का विस्तार अनुमन्य न होगा।
19. 8. अनुज्ञापत्र धारक: खनिज का परिवहन निरपाल आदि से ढक कर करायेगा, जिससे धूल इत्यादि न उड़े।
20. 9. अनुज्ञापत्र धारक द्वारा खान अंशिनियम 1952 खान एवं खनिज विनियम और विकास अधिनियम 1957 तथा नियमावली-2021 एवं वर्तमान पासनादेशों, अन्य विभागों द्वारा जारी पत्रों का पालन किया जायेगा। स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक तार/फेंसिंग आदि की व्यवस्था की जायेगी।
21. 10. यदि मिट्टी निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलती है तो उगकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी को देनी होगी एवं निकली अन्य उप खनिजों पर देय रायल्टी का आंकलन किया जायेगा जो अनुज्ञापत्र धारक को देना होगा।
22. 11. यदि अनुज्ञापत्र धारक द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 यथा संगोषित नियम व शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जायेगा, तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।
23. 12. अनुज्ञापत्र धारक को मा0 न्यायालय, मा0 प्रीन ट्रिब्यूनल तथा समय-समय पर शासन अथवा मन्त्र अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
24. 13. क्षेत्रीय लेखपाल से स्वीकृत गाटा संख्या/रकबा का चिन्हंकन कराये जाने के उपरान्त ही मिट्टी निकासी का कार्य आरम्भ किया जायेगा।
25. 14. मिट्टी निकासी का कार्य हस्तचालन विधि से किया जायेगा, किसी भी दया में मशीन का प्रयोग नही किया जायेगा।
26. 15. मिट्टी निकासी स्थल पर जनमानस व पशु सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सभी उपाय मुनिश्चित करेगा।
27. 16. यह अनुमति मा0 न्यायालय/शासन द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन होगी।
- 28.





Government of Uttar Pradesh



IN-UP83171617373285V

33

e-Stamp

Signature.....  
Acc Name-Kumar Prati Lal  
Acc Code-UP 179804  
Acc Address-Subinagar Nagar-Ftp  
Mo No-9259311001 U.P. No-40  
Tehsil & District-Fatehpur

Certificate No. : IN-UP83171617373285V  
Certificate Issued Date : 27-Nov-2023 01:02 PM  
Account Reference : NEWIMPACC (SV) upt4179804/ FATEHPUR SADAR/ UP-FTP  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1417960462035859368774V  
Purchased by : ROHIT KUMAR SON OF MAHIPAL  
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement  
Property Description : Not Applicable  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : ROHIT KUMAR SON OF MAHIPAL  
Second Party : ANGANA BEVA WIFE OF MITTHU  
Stamp Duty Paid By : ROHIT KUMAR SON OF MAHIPAL  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
(One Hundred only)



Please write the type below this line

अनुबन्ध पत्र

*[Handwritten Signature]*

समस्त श्रीमान खानिज अधिकारी

1- श्रीमती अंगना बेवा पत्नी श्री मिठू निवासी ग्राम आजाकपुर सुस्तिकिल पर 0 बिन्दकी जिलाफतेहपुर। हाल पता- सुन्दरपुर बंगला कोस्ट कुडनी जिला कानपुर नगर।  
--प्रथमपक्ष/भूमिमाालिक

एवं

2- रोहित कुमार पुत्र महिपाल. निवासी ग्राम फरीदपुर उसैरना तह 0 वजिलाफतेहपुर।  
--द्वितीयपक्ष/

यह कि हम दोनों पक्ष निम्नशर्त पर पावन्द हैं एवं अनुबन्ध पत्र दोनों के मध्य हुआ है जो मान्य है :--

दपन।-यह कि प्रथम पक्ष अंगनाबेवा के नाम स्थित आजाकपुर सुस्तिकिल पर. बिन्दकी जिलाफतेहपुरकी डाढासं 00059 गाढा सं 0 19 डा रकबा 0.1860 व गाढा सं 0 29 क, रकबा 0.0820 है। जिसमे कोई विवाद नही है मेरा एक व हिस्सा है। मैं अपने हिस्से की जमीन जोकि उची नीची टिलानुमा है। जिसे मैंने उक्त जमीन को समतलीकरण हेतु बिना किसी लेन देन के दिया है।

Statutory Alert:

*Rohit Kumar*

- 1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.stampinup.com or using e-Stamp Mobile App. Any discrepancy in the details on the Certificate will be available on the Website / Mobile App within 30 days.
- 2. The users of checking the legitimacy is on the basis of this certificate.
- 3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

जिसमें उक्त जमीन को द्वितीयपक्ष को दिया है। जो कि द्वितीयपक्ष रोहित कुमार के हक में मिट्टी उत की बिना किसी लैन वेन के दिया है। इसमें उक्त उत उची नीची व टिलानुमा है। जिसमें कोई फसल नहीं होती है। अकृषिक है। जिसे उपजाऊ बनाने हेतु उत समतलीकरण हेतु कराने के लिये मैंने द्वितीयपक्ष को दिया है। जो कि श्रीमानजी के आदेश के बाब एक वर्ष तक विधि मान्य होगी। इसके बाद स्वतः/ यह अनुबन्ध निरस्त जो जायेगा। इसमें हम दोनों पक्ष आपसी सहमति देते हैं जिसमें किसी भी प्रकारकी कोई एक दूसरे के प्रति कर्तव्यवाही नहीं करेंगे। यह बचन देते हैं मिट्टी खनन दो मीटर से कम गहराई में दिया जायेगा। सिंहाजा यह अनुबन्ध पत्र दोनों पक्षों के मध्य लिखा दिये एवं अपने अपने हस्ताक्षर बिना किसी दबाव के बनाये ह। जो सबद रहे समय पर काम आवें। ब. मुकाम ब्हेहरीफेहपुरा

बतारीख 27-11-23

हो प्रथम पक्ष



*[Signature]*  
द्वितीयपक्ष



*[Signature]*  
Rohit Kumar


*[Signature]*  
रोहित कुमार

Identified three  
Who Connect and affix  
have been explained at  
date  
Wocate Received me

NOTARY  
*[Signature]*  
27-11-2023



ओ०ए० नं० 505/2024 the news item titled "उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीनें, एनजीटी में शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के अनुपालन में दिनांक 14.08.2024 को किये गये स्थलीय निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स।



ओ०ए० नं० 505/2024 the news item titled "उत्तर प्रदेश खनन से संकुचित होता कृषि क्षेत्र, धरती की सीना चीर चल रही हैं मशीनें, एनजीटी में शिकायत" appearing in Amar Ujala dated 02.03.2024 के अनुपालन में दिनांक 14.08.2024 को किये गये स्थलीय निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स।

जॉच आख्या

सेवा मे,  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
फतेहपुर।

श्री रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल निवासी फरीदपुर उसरैना जनपद फतेहपुर द्वारा जनपद फतेहपुर तहसील बिन्दकी स्थित ग्राम आशिफपुर मु० की गाटा सं०-19ख रकबा 0.1860हे० मे दिनांक 05.01.2024 से 03.04.2024 तक की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र की जॉच अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 21.02.2024 को की गई, जॉच मे स्वीकृत क्षेत्र मे 02 मीटर से अधिक गहराई मे मिट्टी की निकासी की गई है, जो खनन अनुज्ञा पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना की शर्तों का उल्लंघन है। अनुज्ञाधारक का उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-35 का उल्लंघन है। उक्त उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञाधारक के विरुद्ध नियमानुसार कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये नियमावली 2021 के नियम-60 (2) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है।

खान निरीक्षक,  
फतेहपुर।



सेवा में,

खान अधिकारी,  
फतेहपुर।

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा नोटिस सं० ३१० दिनांक ०२/०३/२०२४ को दी गई है। जिसमें कहा गया है स्वीकृति क्षेत्र में ०२ मी० से अधिक गहराई में मिट्टी की निकासी की गई है जो खनन अनुज्ञा पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना की शर्तों का उल्लंघन है। अनुज्ञा धारक का उक्त कृत्य उ० प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली २०२१ के नियम ३५ का उलघन है। जिसके लिए ५० हजार का जुर्माना लगाया गया है। जिसके संबंध में सादर अवगत कराना है की प्रार्थी के नाम आशिकपुर मुशतकिल की गाटा सं० १९ख में परमिट है। जो कि हमने २ मी० से अधिक गहराई नहीं की।

अतः महोदय से अनुरोध है कि जारी नोटिस वापस करने की कृपा करे।

महान दया होगी।

दिनांक

प्रार्थी

०२/०४/२०२४

रोहित कुमार

Rohit Kumar

Mines Clean  
MS

खनिक-9

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

कमिटी : 22/07/2024  
 1728 SP/ADM/GR/Mines officer  
 भारत प्रशासनिक विभाग

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

2. समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

उत्तर प्रदेश।

SP  
 जिलाधिकारी  
 फतहपुर

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ : दिनांक:19-07-2024

विषय:-जन-सामान्य द्वारा व्यक्तिगत उपयोग हेतु साधारण मिट्टी का खनन किये जाने के सम्बन्ध में।

नहोदय, नहोदय।

शासन क संज्ञान में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि जन-सामान्य द्वारा अपने निजी कार्य अथवा सामुदायिक कार्य के लिए अपने खेत से मिट्टी खुदाई कर ले जाने पर पुलिस व प्रशासन के द्वारा परमिट की मांग करते हुए रोका जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है:-

1- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-45/ 2020/1542/86-2020-153(सा0)/2017, दिनांक 18.09.2020 के द्वारा 100 घनमीटर तक खनन / परिवहन के लिए ऑनलाईन पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है। इस कार्य के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को upminemitra.in पर अपनी आवश्यक सूचना भरते हुए रजिस्टर करना है और उपरोक्त रजिस्ट्रेशन की प्रति के साथ वह स्वयं की भूमि पर मिट्टी खनन व परिवहन कर सकता है। 100 घनमीटर मिट्टी से अधिक खनन व परिवहन के लिए अनुज्ञा/परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिसमें उन्हें upminemitra.in पर ऑनलाईन आवेदन करना है और यह सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन अनुमति के उपरान्त निर्गत किया जाता है। सामान्यतः 01 ट्रेक्टर ट्राली से 03:00 घनमीटर साधारण मिट्टी का परिवहन किया जाता है, जिसके आधार पर 100.00 घनमीटर साधारण मिट्टी क परिवहन के लिए लगभग 33 ट्रेक्टर ट्रालियों का प्रयोग किया जा सकता है।

2- उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 (यथासंशोधित) के नियम-3 के अन्तर्गत 02 मीटर की गहराई तक सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं माना गया है।

3- इस कार्य पर एक और विभाग पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पर्यवेक्षण रहता है।

इस विभाग के शासनादेश सं0-446/81-7-2020-39(पया) /2014 टा0सा0-1, दिनांक 01.05.2020 के द्वारा निम्न कार्यों को पर्यावरणीय अनापत्ति से छूट प्रदान की गयी है :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैम्प, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी ।
2. मैनुअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी ।
3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना ।
4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।
7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।
8. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत् भू- पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी ।
9. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।
10. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।
11. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकास, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।
12. "ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

4- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.03.2018 द्वारा प्रदेश में मिट्टी के उपयोग से रॉयल्टी समाप्त की जा चुकी है। उपरोक्त तीनों शासनादेशों की प्रति इस आदेश के साथ संलग्न है।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जन-सामान्य/कृषक के द्वारा शासनादेश दिनांक 18-09-2020 के अनुसार आनलाइन व्यवस्था का उपयोग करते हुए 100 घन मीटर तक की मिट्टी की मात्रा स्वयं के खेतों से खनन व परिवहन के लिए उपयोग में लायी जा सकती है। कृपया तहसील व थाने के कर्मियों से इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी भी दशा में दूसरे प्रदेश में इस प्रदेश से मिट्टी की खुदाई कर परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by

Manoj Kumar Singh  
(मनोज कुमार सिंह)

Date: 19-07-2024 16:31:47  
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
4. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, लखनऊ।
7. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

Signed by  
(अनिल कुमार)

Anil Kumar  
मुख्य सचिव।

Date: 20-07-2024 17:54:48

प्रेषक,

संजय सिंह,  
सचिव,  
उ००१० प्रारण।

संख्या- 448/81-7-2020-38(पयी)/2014 टी०सी०-1

1933

ADM/mo

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उ००१० प्रारण।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

01/5/2020

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु०-7

लखनऊ दिनांक: 01 मई, 2020

विषय-पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में छूट के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई०आई०ए० अधिसूचना 2006 (गथासंशोधित) सपटित अधिसूचना सं०-1224 (अ) दिनांक 28-03-2020 के परिशिष्ट-9 में निम्न क्रियाकलापों को पूर्व पर्यावरणीय राहमति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है :-

1. मैन्युअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैंप, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मैन्युअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलों बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।
3. किलनों द्वारा बालू के पक्काने के लिए बालू के खनन के हटाना।
4. ग्राम पंचायत में अवस्थित सारों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गांठ हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।
6. सड़कें, पाइपलाइन आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कारण या प्रयोग करना।
7. बांधों, तालाबों, मंडों, बरसों, नदी और नहरों की उबकें अनुपक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गांठ निकालना।
8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं०-जी०/१०(16)/एमसीआर-2189(68)/5-सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वासीय क्षेत्र के भीतर घूने के गोलों (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैन्युअल निकासी।
10. सिंचाई या पंचजल के लिए कुओं की खुदाई।
11. यथार्थता, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

12. जिला कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट को किसी अन्य स्थान प्राधिकारी के अंतर्गत पर कितनी नदर नाला, ड्रेन, जल निकास आदि में होने वाली खराब को भरने के लिए सभागत मिट्टी या बलु का उपयोग ताकि कितनी आवश्यकता या खराब जमीन स्थिति से निपटा जा सके।

13. 'ऐसी' क्या-क्या, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मिट्टी या बलु के अधीन नदर अनुमोदित किया-क्या-क्या के रूप में घोषित किया गया है।

2- भूतल एवं खनिकी विभाग 3090 शासन द्वारा निर्मित अधिसूचना सं-3204/36-2014-278-2011 दिनांक 22-10-2014 (3090 उप खनिज परिहार नियमावली 37वां संशोधन 2014) में किये गये प्राधिकरणों के अधीन यह उत्सर्ज किया गया है कि:-

ईंट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्तचालन से सभागत मृदा सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया, जिन संविधानों के अंतर्गत नहीं आती, इतिहास यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत-सरकार द्वारा निर्मित संख्या ई3090/अधिसूचना दिनांक 28-3-2020 में उल्लिखित क्रियाकलापों में मृदा के अंतर्गत 3090 उप खनिज परिहार नियमावली (37वां संशोधन) 2014 के प्रावधानों के अनुसार ईंट बनाने हेतु हस्तचालित विधि से 02 मीटर की गहराई तक सभागत मृदा/सामान्य मिट्टी की खुदाई के लिये पूर्व पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3- अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित उक्त अधिसूचना दिनांक-28.03.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

सचिव  
(सिंधु सिंधु)  
सचिव।

संख्या-44(1)/61-3-2020-32(अ)/2014 टिप्पणी-4, तददिनांक।

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, पर्यावरण, 3090, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, 3090 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

सचिव  
(सिंधु सिंधु)  
सचिव।